

**पूर्वोत्तर रेलवे**  
**प्रक अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन.जी.)॥/2024/आर.सी.-04/09 दिनांक-15.10.2024, एवं 31.12.2024 एवं महाप्रबंधक/कार्मिक के पत्र सं०NER-HQ0PERS(POLI)/144/2024 दिनांक-24.01.2025 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदनोपान्त निर्माण/संगठन के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रिक्तियों को भरने के लिए अधिवर्षिता के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्रम सं० | विभाग       | संवर्ग/पदनाम     | पदों की संख्या |
|----------|-------------|------------------|----------------|
| 1        | इंजीनियरिंग | सी०से०ई०/पुल     | 03             |
| 2        | इंजीनियरिंग | सी०से०ई०/ड्राइंग | 02             |
| 3        | इंजीनियरिंग | जे०ई०/कार्य      | 06             |
|          |             | कुल              | 11             |

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध अधिवर्षिता के पश्चात सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत हैं:-

- (1) इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि 13.02.2026 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। विज्ञापन की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (2) यह री-इंगेजमेंट कर्मचारी के द्वारा संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अंतिम 5 वर्ष के APAR के आधार पर किया जा सकेगा।
- (3) री-इंगेजमेंट के समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी DAR/VIG CLEARANCE से मुक्त होना चाहिए।
- (4) यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, री-इंगेजमेंट की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा दिनांक-15.10.2026 की स्कीम अवधि तक अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.सी./आर.आर.बी. से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो तक ही सीमित रहेगा।
- (5) री-इंगेजमेंट के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मियों को निर्धारित श्रेणी में चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- (6) री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एन.जी.)॥/2024/आर.सी.-4/9 दिनांक-15.10.2024 आर.बी.ई. सं 96/2024 एवं ई(एनजी)-॥/2024/आरसी-4/9 दिनांक-31.12.2024 तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा दे नहीं होगी।
- (7) रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार लेवल-09 तक के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
- (8) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए री-इंगेज किया जाएगा।
- (9) री-इंगेजमेंट किए गए भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

(10) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक/अनुभाग के कार्यालय, के बाहर इसके लिए एक बॉक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने कि अंतिम तिथि दिनांक-13.02.2026 सायं 18:00 बजे तक है।

(11) रिक्ति के अनुसार संबंधित केंद्र में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन डाल सकते हैं।

(12) इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी संकेतिक सूचना जारी की जा रही है।

(13) यह स्कीम 15.10.2026 तक वैध होगी तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(14) यह अधिसूचना रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई(एनजी)II/2024/आर.सी-04/09 दिनांक-15.10.2024 एवं 31.12.2024 तथा महाप्रबन्धक/कार्मिक/पू.उ.रे/गोरखपुर के पत्र सं०NER-HQ0PERS(POLI)/144/2024 दिनांक 24.01.2025 में निहित निर्देशों/ प्रावधानों/ शर्तों के आधीन है।

(15) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

(16) यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) पर देखा जा सकता है।

अतः अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के अंतर्गत मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक है, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवाप्रमाण पत्र एवं पी०पी०ओ० तथा अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति के साथ) दिनांक-13.02.2026 तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक अनुभाग में स्थित आवेदन पेटिका में डालें।

सकाधि/निर्माण

कृते मुप्रअ/निर्माण

दिनांक-14.01.2026

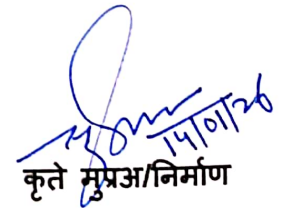
सं० का/283/बीजी/निर्माण/इंजी०/अराजपत्रित/री-इंगेजमेंट

1- सचिव/महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

2- महाप्रबन्धक/कार्मिक को इस अनुरोध के साथ कि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

3- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

4- मुख्य इंजी०/निर्माण-1/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

  
कृते मुप्रअ/निर्माण

## आवेदन पत्र

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,

विषय: री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण का पूरक अधिसूचना सं० का/283/बीजीनिर्माण/इंजी०/अराजपत्रित  
/री-इंगेजमेंट दिनांक-14.01.2026

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० सं० ई(एन.जी.)/11/2024/आर.सी.-4/9 आर.बी.ई. सं 96/2024 दिनांक-15.10.2024 एवं दिनांक-31.12.2024 एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं० का/ 283/ बीजी/निर्माण/इंजी०/अराजपत्रित/री-इंगेजमेंट दिनांक-14.01.2026

|     |                                                   |                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | नाम                                               | स्व हस्ताक्षरित<br>फोटो                                                                              |
| 2.  | पिता का नाम                                       |                                                                                                      |
| 3.  | जन्म तिथि                                         |                                                                                                      |
| 4.  | आवेदित पद                                         |                                                                                                      |
| 5.  | सेवानिवृत्ति के समय पद                            |                                                                                                      |
| 6.  | कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं              |                                                                                                      |
| 7.  | रेलवे/मण्डल का नाम                                |                                                                                                      |
| 8.  | सेवानिवृत्ति की तिथि                              |                                                                                                      |
| 9.  | लेवल/वेतनमान/ग्रेड पे (सातवा वेतन आयोग के अनुसार) |                                                                                                      |
| 10. | अंतिम मूल वेतन                                    |                                                                                                      |
| 11. | पेंशन की रकम (7 CPC के अनुसार)                    |                                                                                                      |
| 12. | पत्राचार का पता                                   |                                                                                                      |
| 13. | सम्पर्क नंबर (मोबाईल) एवं ई-मेल आई०डी०            |                                                                                                      |
| 14. | पी०पी०ओ० सं०                                      |                                                                                                      |
| 15. | आधार नं०                                          |                                                                                                      |
| 15  | संलग्न (हा/नहीं)                                  | 1. सेवा प्रमाण पत्र की छाया प्रति<br>2. पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति<br>3. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र |

## घोषणा-पत्र

मेरी जानकारी मे उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि रेल सेवा से सेवानिवृत्त तिथि को मेरे पक्ष मे कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं थी तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विज्ञापन की अंतिम तिथि को मेरी आयु 64 वर्ष से कम है, मुझे ज्ञात है कि री-इंगेजमेंट के संबंध मे रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा उसे स्वीकार करना बाध्यता होगी किसी भी समय रेलवे प्रशासन द्वारा तत्कालीन आवश्यकता की दशा मे री-इंगेजमेंट को निरस्त करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

पत्राचार का पता :-

.....

नाम -

.....

पिता का नाम -

.....

सेवानिवृत्ति के समय पद -

पी०पी०ओ० सं० -

